"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर 2009—कार्तिक 25, शक 1931

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-13/2007/10-1/वन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित) सेवा भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे । ये नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन ;
   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षा ;
   (घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;
   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
   (च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ण) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित) सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे व्यक्ति;

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति; तथा

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**—सेवा का वर्गीकरण, विभिन्न प्रवर्गों के लिए वेतनमान तथा इन प्रवर्गों में सम्मिलित पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची-एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी ।

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा, मेरिट तथा साक्षात्कार द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ।

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पद मूल रूप से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) अथवा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमा के उपबंधों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जायेगी ।

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये आवश्यक होने पर शासन सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) सेवा में भर्ती करते समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" के प्रावधान तथा इस नियम के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश भी लागू होंगे।

7. ***सेवा में नियुक्ति***.– इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. ***सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें***.– परीक्षा/चयन में स्पर्धा करने के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात :–

(1) आयु :–

(क) विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख के आगामी 01 जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कॉलम–2 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, परन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम –4 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन–क्रीमिलेयर) का हो, तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम–1997 के नियम–4 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्षो की छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो शासन का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(2) अस्थाई पद धारण करने वाले किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होंगे।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा में से अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही

वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

व्याख्या :— पद "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष अधिक न हो।

व्याख्या :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरुप अथवा स्थापना में सामान्य रुप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्शेसन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो, और :—

(एक) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(दो) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमे अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(4) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किये गये अधिकारी;

(5) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम् के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट की जायेगी।

(छ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों को, जो शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार धारक, गुण्डाधूर पुरस्कार धारक, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार धारक तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थी हो, सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दी जायेगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम आयु सीमा में आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, परन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) कोई भी अभ्यर्थी शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जिसकी आयु ऊपर दर्शाये गये किसी एक या उससे अधिक आधार पर आयु में छूट का लाभ देने के पश्चात् 45 वर्ष से अधिक हो।

टीप :—

(1) उपर्युक्त उप–नियम (एक) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) तथा (2) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में यह आयु सीमा शिथिलनीय नहीं होगी।

(3) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ठ) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए अनुसूची–तीन में दर्शाये अनुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये।

(3) **शारीरिक अर्हता.**– अभ्यर्थी को शारीरिक स्वस्थता के निम्नलिखित न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा :–

	पुरुष अभ्यर्थी (सेंटीमीटर)	*महिला अभ्यर्थी (सेंटीमिटर)*
ऊंचाई (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति)	163	150
ऊंचाई (अनुसूचित जनजाति)	152	145
सीना, बिना फुलाये	79	74
सीने का फुलाव न्यूनतम	5	5

अभ्यर्थी का स्वास्थ्य और शारीरिक गठन अच्छा होना चाहिये और उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सा तथा शारीरिक परीक्षण में अर्ह होना पड़ेगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी को 26 कि. मी. तथा महिला अभ्यर्थी को 16 कि. मी. की दूरी 4 घंटे में तय करनी होगी।

(4) **फीस.**– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

निरर्हता.– **अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी माध्यम से किया गया कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा उसके परीक्षा में बैठने के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जायेगा।**

10. ***अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.***— (एक) परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण–पत्र न दिया हो।

(दो) आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि अभ्यर्थी के द्वारा चयन के लिए दी गई जानकारी असत्य पायी गयी/प्रस्तुत अभिलेखों में विसंगति पाये जाने आदि का तथ्य संज्ञान में आने के फलस्वरूप उसे अयोग्य पाये जाने पर उसका चयन/नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा निरस्त की जा सकेगी।

11. ***प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.***— (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालो में ली जायेगी, जैसा की शासन समय–समय पर आयोग के परामर्श से विनिश्चित करें।

(2) आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जायेगा जैसा कि शासन समय–समय पर आयोग के परामर्श से जारी करें।

(3) सीधी भर्ती के लिए चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो कि आयोग द्वारा समय–समय पर चयन के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अवधारित की जाए।

(4) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमिलेयर) के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट–सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(6) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थी उप नियम–4 के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम–1997 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के बाहर भी महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित होंगे।

12. ***आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची*** .— (1) आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि आयोग अवधारित करें, योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमिलेयर) के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर सूची में दिये गये नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के बाद जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. ***परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण*** .— (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) शासन यदि उचित समझे तो परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा।

(3) शासन परिवीक्षा या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में किसी भी समय परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों तथा उपक्रमों में प्रदान किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में विस्तार किया जा सकेगा यदि अभ्यर्थी विहित मानक प्राप्त करने में असफल रहता है। अभ्यर्थी विहित परीक्षा तथा प्रशिक्षण, विहित मानक से जैसा कि समय–समय पर संचालित किया जाये, परिवीक्षा अवधि में आवश्यक विस्तार के बाद अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है, तो सेवा से कार्य मुक्त किया जा सकेगा।

(5) यदि अभ्यर्थी जो परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित हो, दी गयी तिथि एवं स्थान पर प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी नियुक्ति

निरस्त की जायेगी। नियुक्ति आदेश निरस्त किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि में कार्यभार नहीं लेता है।

14. ***पदोन्नति द्वारा नियुक्ति*** .— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध इस नियम के अन्तर्गत समिति गठित करने के लिए अनुसरित किए जाएंगे।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष मे कम से कम एक बार होगी।

(3) पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों का अनुसरण किया जायेगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

15. ***पदोन्नति / स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें*** .— (1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलो पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की प्रथम जनवरी को उन पदो पर जिनसे की पदोन्नति की जानी है (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) उतने वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची—4 के कॉलम—(3) में यथाविनिर्दिष्ट है, और जो उप नियम—2 के खण्डों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए अभ्यर्थिता हेतु संगणना की प्रक्रिया; वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की बैठक आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को सेवा की अर्हकारी कालावधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर सवंर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) "वरिष्ठता सह उपयुक्तता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा। केवल उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रम से विचार किया जाएगा, जो विचार करने से आगामी 01 वर्ष में विद्यमान पदों तथा 01 वर्ष में सेवानिवृत्ति के कारण सम्भावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट—कम—सीनिऑरिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां

विचारण क्षेत्र रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति न हो सके तो यह विचारण क्षेत्र रिक्त पदों के सात गुने तक विस्तारित किया जा सकेगा तथा आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति उक्त विचारण क्षेत्र में आये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से की जा सकेगी।

(3) उप नियम (2) के अनुसार विद्यमान तथा प्रत्याशित रिक्तयों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंध के अनुसार पदोन्नति के लिए लागू होंगे।

(5) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

16. *उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना* .— (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम–14 एवं 15 में उल्लिखित प्रावधानों/निर्धारित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से 01 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2). उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाये कि यथास्थिति सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाये, तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारण को लेखबद्ध करेगी।

17. *आयोग से परामर्श*.— (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी :--

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख,

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम 2 में दर्शित सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख जिनका सूची में की सिफारिशों के अनुसार, अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो,

(तीन) अनुसूची—चार के कॉलम 2 में दर्शित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण, और

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार।

(2) जहां आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामांकित आयोग के सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे हों तथा विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के यथा अनुमोदन के हस्ताक्षर हों तो ऊपर उप—नियम (1) की प्रस्तावित कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी।

18. ***चयन सूची*** .— (1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ—साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची—चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से पदोन्नत करने के लिए चयन सूची होगी।

(4) जिस कैलेण्डर वर्ष में चयन सूची तैयार की जायेगी उस कैलेण्डर वर्ष की सूची अनुमोदन दिनांक से 01 वर्ष तक मान्य रहेंगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन—सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. ***चयन सूची से सेवा में नियुक्ति***.— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में

अभ्यर्थी के कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. ***परीक्षण***.— सेवा में पदोन्नति से पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षो की अवधि के लिए परीक्षण पर रहेगा।

21. ***क्रमोन्नति***.— (1) पात्र अभ्यर्थियों को अनुसूची—एक के कॉलम (3) में दर्शाये गये क्रमोन्नत वेतनमान देने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से एक समिति गठित की जाएगी, परन्तु इस नियम के अधीन ऐसी समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधो का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(3) क्रमोन्नत वेतनमान देने हेतु प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से इस संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी।

(4) समिति अनुसूची—एक के कालम (2) में अर्हकारी सेवा वर्ष पूरे करने पर क्रमोन्नत वेतनमान देने के लिए आयोजित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अभिलिखित करेगी।

(5) यदि समिति द्वारा सेवा के किसी सदस्य अथवा सदस्यों को क्रमोन्नत वेतनमान देने हेतु योग्य नहीं पाया जाता है तो वह सेवा के ऐसे सदस्य अथवा सदस्यों के संबंध में कारण अभिलिखित करेगी।

22. ***निर्वचन***.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

23. ***शिथिलीकरण***.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो।

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

24. ***<u>निरसन और व्यावृत्ति</u>*** .— (क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू समस्त नियम, इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

(ख) इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, संयुक्त सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित)

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	वेतनमान	चार स्तरीय वेतनमानों में पदों की कुल संख्या का प्रतिशत एवं पदों की संख्या	वेतनमान में मंजूर किये गये पदों की संख्या			वर्गीकरण
				स्थायी	अस्थायी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वन विभाग				464 16 (प्रतिनियुक्ति रक्षित)		464 16 (प्रतिनियुक्ति रक्षित)	
	वन क्षेत्रपाल प्रारम्भिक वेतनमान	5500-175-9000	264 (55%)	–	–	–	द्वितीय श्रेणी
	वन क्षेत्रपाल (कनिष्ठ श्रेणी) (सेवाकाल के 07 वर्ष उपरान्त क्रमोन्नत वेतनमान)	6500-200-10500	120 (25%)	–	–	–	द्वितीय श्रेणी
	वन क्षेत्रपाल (वरिष्ठ श्रेणी) (सेवाकाल के 17 वर्ष उपरान्त क्रमोन्नत वेतनमान)	8000-275-13500	72 (15%)	–	–	–	द्वितीय श्रेणी
	वन क्षेत्रपाल (प्रवर श्रेणी) (सेवाकाल के 24 वर्ष उपरान्त क्रमोन्नत वेतनमान)	10000-325-15200	24 (05%)	–	–	–	द्वितीय श्रेणी

अनुसूची – दो

(नियम – 6 देखिए)

छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित)

विभाग का नाम	*मंजूर किये गये पद*	*मंजूर किये गये पदों की संख्या*	*कॉलम 3 में दिये गये उन पदों का प्रतिशत जो निम्नानुसार भरे जाएंगे*	
			सीधी भर्ती द्वारा	*पदोन्नति द्वारा*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
वन विभाग	**वन क्षेत्रपाल**	464 16 (प्रतिनियुक्ति रक्षित)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

अनुसूची – तीन

(नियम – 8(2) देखिये)

सेवा / पद का नाम	*न्यूनतम आयु सीमा*	*अधिकतम आयु सीमा*	*विहित शैक्षणिक अर्हताएं*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित) सेवा	21 वर्ष	30 वर्ष	अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा अभियांत्रिकी के निम्नांकित विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक (या समकक्ष) उपाधि होना अनिवार्य है। कृषि, वनस्पति, रसायन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साईस, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू–गर्भ विज्ञान, उद्यानिकी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु विज्ञान, जन्तु विज्ञान, अभियांत्रिकी (कृषि, रसायन, सिविल, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल)

टीप :– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, अधिकतम आयु सीमा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची – चार

(नियम – 14 देखिये)

विभाग का नाम	*सेवा / पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो*	*पदोन्नति हेतु सेवा अर्हता की न्यूनतम कालावधि*	*सेवा / पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है*	*विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (देखिये नियम 14)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वन विभाग	उप वन क्षेत्रपाल	05 वर्ष	वन क्षेत्रपाल (राजपत्रित)	अध्यक्ष – अध्यक्ष, छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य सदस्य – प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग सदस्य – प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, रायपुर

Raipur, the 16th November 2009

NOTIFICATION

No. F 8-13/2007/10-1/Forest.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Forest Ranger (Gazetted) Service, namely :—

1. ***Short Title and commencement.***- These rules may be called the Chhattisgarh Forest Rangers (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2009.

These rules shall come into force from the date of publication in the Chhattisgarh Gazette..

2. ***Definitions*** .- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the Government;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these rules ;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified in the notification No. F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department (As amended by the State Government from time to time);

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Forest Ranger (Gazetted) Service;

(k) "State" means the state of Chhattisgarh.

3. ***Scope and Application***.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. ***Constitution of Service***.- The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. ***Classification, Scale of Pay etc***.- The Classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I .

Provided, that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. ***Method of Recruitment***. - (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment by competitive examination/ selection, by merit and interview;

(b) by promotion of members of the service;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in schedule-II of the number of posts specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by the each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require the Government may, after consultation with the Commission shall adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and direction issued from time to time by General Administration Department shall apply.

7. ***Appointment to the service*** .- All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. ***Conditions of eligibility for Direct Recruitment*** .- In order to be eligible to compete at the examinations/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) Age;

(a) He must have attained the age as specified in column (2) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of publication of the advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5(five) years if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Non-Creamy layer).

(c) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10(ten) years for a woman candidate, as per the rule-4 of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below:-

(1) A candidate who is a permanent or temporary Government servant, should not be more than 38 (thirty eight) years of age.

(2) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committees.

(3) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell, provided that

the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (Three) years.

Explanation- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an "Ex-Serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation: The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on ;-

(i) completion of short term engagement;

(ii) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-Servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short Service Regular Commissioned Officers);

(4) Ex-Servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-Servicemen invalidated out of Service;

(6) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 (Two) years in respect of Green Card Holder candidates under the Family Welfare programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of those candidates who are Shaheed Rajiv Pandey award holder, Gundadhoor honour holder, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev honour holder and National Youth award holder young candidates.

(i) The upper age shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but, in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

(k) No candidate shall be permitted to enter government service who exceeds the age of 45 (Forty Five) after giving the benefit of age relaxation on one or more than one ground mentioned above.

Note:- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (1) and (2) of clause (d) of the sub-rule (i) above. shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed.

(3) The departmental candidates must obtain the previous permission of the appointing authority to appear for the examination/ Interview.

(l) Beside above mentioned rules, the directions issued by General Administration Department from time to time regarding age limit shall also be applicable.

(2) ***Educational qualification.-*** A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) ***Physical Qualification.-*** The candidate must fulfill the following minimum standard of physical fitness.

	Male candidate cm	***Female candidate*** cm
Height (General, Other Backward Classes and Scheduled Castes	163	150
Height (Scheduled Tribe)	152	145
Chest Unexpanded	79	74
Minimum Expansion of chest.	5	5

The candidate must have sound health and robust body & he/she should not be physically or mentally disable. Further, the candidate has to qualify a medical and physical test. Male

candidates will have to walk 26 k.m. in four hours and female candidates will have to walk 16 k.m. in four hours.

(4) Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. ***Disqualification*** .- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

10. ***Decision of Commission about the eligibility of the Candidates.-***

(i) The decision of the commission regarding the eligibility for the examination/interview or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination/interview.

(ii) At any stage of selection procedure by the commission or after sending the select list to the Government, if the candidate is found unfit as a result of false information submitted by the candidate / any anomaly found in submitted documents by the candidates, the recommendation for the selection/ appointment shall be cancelled.

11. ***Direct Recruitment by competitive examination.*** - (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government from time to time may determine, in consultation with the commission.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as may be issued by the Government in consultation with the commission from time to time.

(3) Selection by direct recruitment shall be done in the manner as adopted by the commission for the selection from time to time in accordance with the prescribed standards.

(4) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service

(Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) recommended by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) as the case may be, under sub-rule (4).

(7) Out of available vacancies, the posts shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

12. ***List of candidates recommended by the Commission.*** - (1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in order in which their names appear in the merit list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment, unless the appointing authority is satisfied after such

inquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. ***Probation and Training***.- (1) Every person directly recruited to the service, shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) If Government decides, probation period may be extended for a period not more than one year.

(3) Government may at any time during probation or during extended period of probation or at the end of the period of probation discharge the probationer from service, if it is of the opinion that he/she is not likely to make himself/herself a suitable officer.

(4) During the probation period prescribed training shall be imparted in specified training institutions and outfits. Probation period may be extended if the candidate fails to attain prescribed standards. Failure to qualify in the prescribed examination and training by prescribed standards as may be conducted from time to time may entail extension of probation period and even discharge from service.

(5) If a candidate who is offered an appointment on probation, does not join the training at the given date and place, his appointment shall be cancelled. The order of appointment shall be cancelled if the candidate does not join within the period specified in the appointment order.

14. ***Appointment by Promotion***.- (1) A committee shall be constituted for preliminary selection of eligible candidates for promotion. But the provisions of Section 8 of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) will be followed to constitute the committee under this rule.

(2) The departmental promotion committee shall ordinarily meet atleast once every year.

(3) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 will be followed for promotion.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

15. ***Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.***- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year has completed such number of years of service-officiating or substantive as specified in column (3) of Schedule IV on the posts from which the promotion is to be made and come under the zone of consideration as per clauses of sub rule-2.

Explanation: Procedure for calculation of candidature for promotion: On 1st day of January of the year when departmental promotion committee / screening committee meeting is held, the calculation of qualified period of service will be considered from the calendar year when the Civil Servant comes in the feeder cadre / part of service / scale of post and not from the date of coming to the feeder cadre / part of service / scale of post.

(2) (i) There will be no provision of zone of consideration for all categories in selection through "Seniority – Cum – Fitness" basis or when promotion is done on the basis of seniority barring unsuitable candidate. Only such number of candidates would be considered as per seniority as may suffice to fill up the existing vacant posts and anticipated vacancies to fall during the year due to retirement.

(ii) In such cases where basis of promotion is merit-cum-seniority the zone of consideration will be double the number of vacant posts plus four. If the vacant reserved posts are still vacant, the zone of consideration will be extended to seven times the vacant posts and the reserved vacant posts will be filled by the candidates of reserved category coming in aforesaid zone of consideration.

(3) To fill up the existing & anticipated vacancies as per rule (2) the names of two Civil Servants or 25% of the number of Civil servants included in selection list whichever is more has to be

included in selection list for the purpose of consideration of sufficient number of candidates from each category.

(4) Provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) rules 2003 will be applicable for promotion.

(5) Promotion will be done as per the prescribed reservation roster by the Government.

16. ***Preparation of list of suitable candidates*** .- (1) The committee shall prepare a list of such persons satisfying the conditions prescribed in rule-14 and 15 mentioned above and as are held by the committee to be suitable for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list.

(2) List of suitable candidates will be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003.

(3) The list so prepared shall be duly reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. ***Consultation with the Commission*** :-

(1) List prepared according to rule-15 will be sent to commission by the Government with the following.

(i) Documents of all the persons included in the list.

(ii) Documents of all such members of the service specified in column-2 of schedule-IV who have been proposed by the committee to be superseded.

(iii) Reasons recorded by the committee for the proposed supersession of any member of the service specified in column-2 of schedule- IV and

(iv) Views of Government on the recommendations of committee.

(2) Where the Chairman of the Commission or a member of the commission nominated by the Chairman, presides the departmental

promotion committee and the proceedings of Departmental Promotion Committee is signed by Chairman and all members of the committee as approval of the proceedings then action proposed under sub-rule 1 as above is not required.

18. ***Select List.*** -

(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approves the list.

(2) If the commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government the commission shall inform the Government of the change proposed and after taking into account the comments if any of the Government, may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the commission shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts shown in Column(2) of Schedule-IV to the posts mentioned in Column(4) of the Schedule-IV.

(4) The select list so prepared during the calendar year will be for a period of one year from the date of approval of that calendar year.

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. ***Appointment to the Service from the Select List*** *.- (1) Appointment of the Officers included in the Select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the Select list.*

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the

Select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select list and the date of the proposed appointment, there occur any deterioration in his/her work which in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. ***Observation*** *.- Every person appointed in the service by promotion shall remain on observation for a period of two years.*

21. ***Time Scale*** .- (1) To provide time scale as per column (3) of scheduled-I to eligible candidates a committee shall be constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary / Principal Secretary after the consultation with General Administration Department, but for the constitution of such committee under this rule the provisions of section - 8 of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act-1994 (No. 21 of 1994), shall also be followed.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding a year. Normally the committee shall meet at least once during the year.

(3) Procedure to approve time scale will be followed as per the directions issued in this regards from time to time after consultation with General Administration Department.

(4) The Committee shall record the proceedings of meeting held to provide time scale after completion of qualifying years of service as per the column (2) of Schedule-I.

(5) If a member or members of the service is/are not found fit by the committee to provide time scale, the reasons to that effect for the member or members of the service, has to be brought on record.

22. ***Interpretation*** .- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision, thereon, shall be final.

24. ***Repeal and Saving*** .- (a) All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(b) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. DHANANJAY, Joint Secretary.

Schedule - I

(See Rule- 5)

Chhattisgarh Rangers (Gazetted)

Name of the Department	*Post included in Service*	*Pay Scale*	*Number of post & percentage of total number of posts included in sanctioned four Pay Scales*	*Number of posts sanctioned in the pay scale*			*Classification*
				Permanent	*Temporary*	*Total*	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Forest Department	Rangers Initial Pay Scale	5500-175-9000	264 (55%)	464 16 (Deputation Reserve)	-	464 16 (Deputation Reserve)	Class-II
	Rangers (Lower Grade) (Time Scale after completion of 7 years of Service)	6500-200-10500	120 (25%)				Class-II
	Rangers (Senior Grade) (Time Scale after completion of 17 years of Service)	8000-275-13500	72 (15%)				Class-II
	Rangers (Selection Grade) (Time Scale after completion of 24 years of Service)	10000-325-15200	24 (05%)				Class-II

Schedule – II

(See Rule-6)

Chhattisgarh Rangers (Gazetted)

Name of the Department	*Sanctioned posts*	*Number of sanctioned posts*	*Percentage of posts as specified in column-3 to be filled as below*	
			By Direct Recruitment	*By Promotion*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Forest Department	**Rangers**	**464** **16 (Deputation Reserve)**	**50 Percent**	**50 Percent**

Schedule – III

{See Rule – 8 (Two)}

Name of Service / Posts	***Minimum Age limit***	***Maximum Age limit***	***Prescribed Educational Qualification***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Chhattisgarh Rangers (Gazetted) Service	21 Years	30 years	The Candidate must have graduation degree (or equivalent) from recognized University in Science or Engineering with at least one subject from the following subjects compulsorily:- Agriculture, Botany, Chemistry, Computer application / Science, Environment Science, Forestry, Geology, Horticulture, Mathematics, Physics, Statistics, Veterinary Science, zoology, Engineering (Agriculture, Chemical, Civil, Computer, Electrical, Electronics, Mechanical)

Note:- *For the local resident candidates of Chhattisgarh State, the maximum age relaxation will be provided as per the directions issued by General Administration Department from time to time.*

Schedule – IV

(See Rule – 14)

Name of the Department	***Name of the Service / Post from where promotion is to be done***	***Minimum period of Qualified Service for promotion***	***Name of Service or posts to which promotion is made***	***Constitution of Departmental Promotion Committee (See rule - 14)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Forest Department	Deputy Rangers	05 Years	Rangers(Gazetted)	Chairman - Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission or member nominated by him. Member - Principal secretary Government of Chhattisgarh Forest department. Member - Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh, Raipur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.